AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारतीय संघवाद पर नेहरू के विचार

ORIGINAL ARTICLE

Author
विनीत
शोधार्थी
अफ्रीकी अध्ययन विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली, भारत

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारतीय संघवाद पर विचारों को वर्णित किया गया है। इस शोध पत्र में नेहरू के एकीकृत और सशक्त भारत की परिकल्पना और दूरदृष्टि की जांच की गई है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और नेहरू इससे परिचित थे। उनका समग्र चिंतन विविधता में एकता पर आधारित था। नेहरू गांधीजी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, इसस कारण उन्होंने गांधी के जन जन तक लोकतंत्र की पहुच के विचार को अपनाया और एक ऐसे संघीय व्यवस्था का समर्थन किया जो न्यायपूर्ण शक्ति विभाजन पर आधारित था। इस शोध पत्र में विशेष रूप से इस तथ्य को केंद्र में रखा गया है कि कैसे नेहरू भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि जहां राज्यों को कुछ मामलों में स्वायत्तता मिलनी चाहिए, दूसरी तरह केंद्र सरकार को राष्ट्रीय एकता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होने पर दखल देना चाहिए साथ ही, नेहरू लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे और सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे। उन्होंने देश भर में विविध समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के विचार का समर्थन किया। भारतीय संघवाद पर नेहरू के विचार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन को दर्शाते हैं, जिसमें क्षेत्रों और समुदायों की विविधता को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शोध पत्र में नेहरू की समाजवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीय एकता के महत्व के साथ भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं और संघीय सरकार की परिकल्पना पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

मुख्य शब्द

संघ, भारत, राष्ट्र.

परिचय

दुनिया भर में जातीयता के आधुनिकीकरण के वर्तमान संदर्भ में, भारत में, दलीय व्यवस्था के रूप में, लोकतांत्रिक गतिशीलता और वैश्वीकरण में परिवर्तन और अल्पसंख्यकों से निपटना संविधान की भावना और उस भावना का उल्लंघन करने वाले कुछ राज्यों के कारण अधिक स्वायत्त हो गया है। लेख में संघवाद की प्रकृति का विश्लेषण किया गया है क्योंकि इसे स्वतंत्रता और विभाजन के बाद की विशिष्ट स्थिति में भारत में अपनाया गया

था, नेहरूवादी और उसके बाद के समय में, कार्य और इसके परिवर्तन केन्द्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के संदर्भ में देखे गए हैं।

तर्क यह है कि संघवाद विविधता के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इस संबंध में, यह भारत में कुछ हद तक किया गया है, यह अल्पसंख्यकों के न्याय के लिए रामबाण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, और इसका उपयोग बहुसंख्यक समूहों द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को हटाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है। इसके लिए संघ को न केवल केंद्र–राज्य संबंधों या कानूनी और संवैधानिक शब्दावली के संदर्भ को समझना चाहिए, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के संदर्भ में भी समझने की आवश्यकता है। जो आवश्यक है वह एक बहु–स्तरीय, लोकतांत्रिक और गैर–संघीय संघीय प्रणाली है जो बाहरी और घरेलू दबावों के लिए उत्तरदायी है और अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करती है, जो क्षेत्रीय रूप से केंद्रित और विस्तारित हैं।

किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को उस काल में विकसित राजनीति के सन्दर्भ में ही समझा जाता है और परिस्थिति के अनुसार उसे बार–बार परिभाषित भी किया जाता है, इस प्रकार संघवाद को सीधे–सीधे तरीके से वर्णित करना या समझाना व्यावहारिक है। भारत में, स्वतंत्रता के बाद पहले कुछ वर्षों के दौरान, केंद्र–राज्य संबंध सुचारू रूप से आगे बढ़े थे; इसका मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्यों दोनों में शासन कर रही थी और दोनों स्तरों पर अनुत्तरित विरोध था। 'संस्थागत केंद्रीकरण,' जैसा कि ऑस्टिन ने नेहरू पर आरोप लगाया है, नेहरू के शासन की अंतर्निहित विशेषताओं के बावजूद, एक तरफ राज्य सरकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व था, और केंद्रीकृत निर्णय समय की तर्कसंगतता के अनुरूप थीं।

विश्व में ऐसा कोई संघ नहीं है, जिसमें केंद्र और इकाई के बीच शक्ति का विभाजन बिना किसी विवाद के सर्वथा संतोषजनक एवं संतोषप्रद रहा हो। भारतीय संघ कोई अपवाद नहीं है। कई दशकों से, संघवाद सार्वजनिक बहस का हिस्सा रहा है। शासन सत्ता के दो केंद्रों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ, दोनों के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। 1990 की शुरुआत में, महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसने भारतीय राजनीति के चरित्र को और अधिक प्रभावित किया।

गठबंधन युग की शुरुआत महत्वपूर्ण है, जिससे संघ–राज्य संबंधों में बदलाव आया है। राज्यों और क्षेत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिससे उनकी स्थिति पर अधिक मजबूती से बल दिया गया।

भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों, रीति–रिवाजों, जातियों, वर्गों आदि के साथ विविध संस्कृतियों का एकीकरण वाला देश है। स्वतंत्रता के समय, जब राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, प्रांत राज्यों को संगठित करने की राजनीतिक मांग की गई थी। 75 वर्षों के बाद भी, छोटे राज्यों की मांग बढ़ रही है क्योंकि बड़े राज्य राज्यों के भीतर क्षेत्रीय/स्थानीय मांगों को पूरा नहीं कर सकते। बीते कई वर्षों में अनेकों बड़े राज्यों का विभाजन हो चुका है, जैसे बिहार से छतीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आदि।

गठबंधन की राजनीति के आगमन और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के केंद्र के साथ–साथ राज्यों में सत्ता में आने के साथ, इस विकास में केंद्र–राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। भारत के संविधान के पूर्वाग्रह के साथ, यह राज्यों के एक सहकारी संघ का प्रावधान करता है, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघवाद संविधान का हिस्सा है, भारत के संविधान में बड़ी संख्या में संघीय ढांचा में संशोधन प्रभावित हुए हैं।

आजादी के इतने वर्षों में अब तक भारत में संघवाद का मिश्रित प्रदर्शन रहा है। 1990 और 80 के दशक में संविधान की संघीय सुविधाएं केंद्र की ओर झुकी हुई थीं, जिसे 1990 में दलीय राजनीति की मजबूरी के कारण बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक दल के प्रभुत्व चरण (1947–66) के दौरान, केंद्र ने मुख्यमंत्रियों को बदलने और सरकारों को बर्खास्त करने के लिए हस्तक्षेप किया, जो केंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

भारतीय संघवाद

भारतीय संघवाद एक अनूठी प्रणाली है, यह केंद्र और राज्यों को समान शक्ति देता है लेकिन व्यावहारिक रूप

से यह केंद्र की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। इसके बावजूद संविधान राज्यों को अपनी विशेष पहचान बनाए रखने का अवसर देता है और केंद्र की कठपुतली बनने से बचाए रखता है। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देशों में यह उचित भी है कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं।

भारतीय संघवाद और उसकी विशेषताएं

शक्तियों का विभाजन, संविधान केंद्र सरकार (संघ सूची), राज्य सरकारों (राज्य सूची), और समवर्ती शक्तियों (समवर्ती सूची) के बीच शक्तियों का वर्णन करता है। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा जैसे विषय शामिल हैं, जबकि राज्य सूची में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आपराधिक कानून और विवाह जैसे समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है।

संघीय विशेषताएं

भारत में कुछ संघीय विशेषताएं हैं जैसे कि एक लिखित संविधान, इसकी व्याख्या करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों का विभाजन। हालाँकि, आपात स्थिति के दौरान, केंद्र सरकार अधिक शक्तियाँ ग्रहण कर सकती है, जिससे यह अर्ध–संघीय हो जाएगी।

वित्तीय संबंध

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे और राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करता है।

राज्यपाल की भूमिका

प्रत्येक राज्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियाँ होती हैं।

अंतर–राज्य संबंध

राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के विवादों का समाधान संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं जैसे सर्वोच्च न्यायालय आदि द्वारा किया जाता है। भारतीय संघवाद संशोधनों, न्यायिक व्याख्याओं और राजनीतिक प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुआ है। इसे प्रायः केंद्र और राज्यों के बीच एकता सुनिश्चित करने और सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत की विशाल विविधता को समायोजित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

संघवाद पर नेहरू

जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। वह महात्मा गांधी के शिष्य थे और आज़ाद, पटेल, राजगोपाल चारी, राजेंद्र प्रसाद आदि के समकालीन थे।

स्वाभाविक रूप से, उनके विचार संविधान की आत्मा को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले थे। नेहरू और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनकी प्रतिबद्धता न केवल ब्रिटिशों से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण कराने की थी, बल्कि बाद में समायोजित, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए ऐसी शक्ति का उपयोग करने की भी थी। उन्होंने एक कार्यकर्ता, एक सकारात्मक राज्य की कल्पना की, जो कानून के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाएगा। संविधान परिवर्तन का एक माध्यम था। संविधान का उद्देश्य एक मजबूत राज्य प्रदान करना था, जो गरीबी, सामाजिक अन्याय और अज्ञानता के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो।

नेहरू भारत को बहुत ही गहराई से समझते थे और इसी कारण वे एक सशक्त और एकजुट भारत के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन और राज्यों के लिए स्वायत्तता के महत्व को भी वरीयता दी।

नेहरू का मानना था कि जिस देश में विविधता होती है वहाँ केंद्र का शक्तिशाली होना अनिवार्य है। यह

आवश्यक इसलिए है क्योकि इससे राष्ट्रीय हित जुड़ा होता है। देश के विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिये पर बैठे लोगों के उत्थान पर जोर दिया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के समाजवादी विचारों के कारण ऐसी कई नीतियाँ बनाई गईं जो बुनियादी आवश्यकताओं की तुरंत पूर्ति करते हैं।

हालाँकि, नेहरू ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के महत्व और संघीय ढांचे के भीतर विविधता को समायोजित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधता का सम्मान किया और भाषाई राज्यों की वकालत की, जिसके कारण 1950 और 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ।

संघवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और भारतीय संघ के भीतर विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और पहचानों को समायोजित करने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की अनुमति देने के लिए एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के बीच एक संतुलन था।

नेहरू की दूरदर्शिता का परिणाम है कि उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का संकल्प लिया था जहां भारत को विश्व पटल पर एक विशेष स्थान मिले और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो समस्याएं भारत के समक्ष थी उनका सामना करते हुए विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखा गया कि सरकारें अगर अत्यधिक शक्तिशाली होंगी तब सत्तावादी व्यवस्था लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती हैं, इसलिए संघवादी व्यवस्था बेहतर उपायों में से एक थी।

संघीय सरकार की परिकल्पना निम्नलिखित रूप में की गई है:

(ए) विभाजित शक्तियों और उत्तरदायित्वों वाली दो–स्तरीय शासन प्रणाली; और

(बी) वैधता स्थापित करने के बाद, न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक सीमाओं के माध्यम से लागू किया जाना।

हालाँकि, संघवाद के न केवल नकारात्मक पहलू हैं, इसके सकारात्मक पहलू यह हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह विरोधाभासी है।

(ए) कुछ उद्देश्यों के लिए एकजुटता की इच्छा, और

(बी) इकाइयों की एक साथ उन्हें अलग से पहचानने और अन्य उद्देश्यों के लिए अस्तित्व को संरक्षित करने की इच्छा।

भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भले ही संघवाद की अवधारणा पहले जन्मी और बाद में इकाइयों का निर्माण हुआ, भाषा या क्षेत्र का आधार और सिद्धांतों का अस्तित्व, उप–राष्ट्रीय निष्ठा ही वह कारक थी, जिसने संघीय सरकार को अपनाया।

हालाँकि, अधिक प्रासंगिक, व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय सरकारों पर प्रभाव डालने की आवश्यकता थी। भारतीय संघीय सरकार को कनाडाई सरकार के प्रत्यारोपण के अमेरिकी या कनाडाई मॉडल द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सका। इसकी अपनी भारतीय पहचान थी क्योंकि 'संघवाद' एक निश्चित सूत्र में बंधकर रहने में असमर्थ था। इसे देश के अनुभव, आकांक्षाओं और परंपराओं से जोड़ा जाना था। भारत को अपनी स्वतंत्रता के दौरान जिन समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनका संविधान के बनने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

प्रथम, अमेरिकी संविधान के अनुसार, उनकी संविधान सभा में कोई तनाव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के विपरीत, भारतीय संघीय सरकार पहले ही आ चुकी थी और स्वामित्व की मांग करने या संघीय प्राधिकरण द्वारा संभावित आपसी विरोध के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई भी अस्तित्व में नहीं था और कोई राज्य या इकाइयां नहीं थीं।

द्वितीय, नेहरू सहित कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय था। देश की आजादी में योगदान देने वाले विद्वानों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों ने विविधता में एकता के सिद्धांत को अपनाया, क्षेत्रीय भाषा और संस्कृतियों को सम्मान देते हुए अखिल भारत के विचार को भी बनाए रखा। स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त होकर विश्व में एक सम्मानजनक स्थान को पाने के लिए कृतसंकल्प थे।

तृतीय, नेहरू बीसवीं सदी से ही आर्थिक नियोजन की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध थे। ग्रैनविले ऑस्टिन कहते हैं, "नेहरू और अन्य लोगों ने 1992 के अंत से योजना की संपत्तियों का प्रचार किया था, और 1937 में, कांग्रेस ने नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी।"

नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया कि किसी भी संवैधानिक योजना के तहत राष्ट्रीय योजना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। 2 मार्च, 1947 को आयोजित केंद्रीय शक्ति समिति की पहली बैठक में, उन्होंने उस समिति के अध्यक्ष के रूप में दो प्रश्न उठाए;

(I) एक मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए; और

(II) कैबिनेट मिशन योजना में विचार के रूप में एक न्यूनतम अनिवार्य सूची होनी चाहिए और एक अन्य सूची, यदि इकाइयाँ तैयार हैं, तो वे केंद्र में जा सकती हैं।

एक बार जब कैबिनेट मिशन योजना द्वारा लगाई गई बाधाओं को दूर कर लिया गया, तो गणना शक्तियों के साथ कमजोर केंद्र के पहले पैटर्न पर टिके रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, इसका अर्थ एकात्मक संविधान की ओर वापस जाना नहीं था। केंद्रीय शक्ति समिति की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है, इसके अलावा, हमारे मन में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कई मामलों में सत्ता इकाइयों के साथ पूर्ण होनी चाहिए और एकात्मक राज्य के आधार पर एक संविधान तैयार करना राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक प्रतिगामी कदम होगा।"

3 जून, 1947 को विभाजन की घोषणा के अगले दिन, भारत को एक राज्य होना चाहिए या एक संघ होना चाहिए, इस मूल प्रश्न से निपटने के लिए संघीय संविधान समिति इस निर्णय पर पहुंचीः

(I) संविधान एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय ढांचा होना चाहिए;

(II) तीन पूर्ण सूचियाँ होनी चाहिए, जैसे संघीय, प्रांतीय और समवर्ती; केंद्र के लिए अवशिष्ट शक्तियों के साथ;

(III) भारतीय राज्य को संघीय विधायी सूची के प्रांतों के समान होना चाहिए।

अंततः एक मजबूत केंद्रीय सरकार और सामान्य नागरिकता, एकल न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाओं जैसी कई एकीकृत सुविधाओं के लिए एक संविधान प्रदान किया गया।

निष्कर्ष

15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 के दौरान नेहरू ने न केवल प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि सुधारक की भी भूमिका भी निभाई। उनके बाद से राजनीतिक दायरा व्यापक हो गया है। अर्थव्यवस्था से संबंधित योजनाओं में नेहरू की छाप अब नहीं दिखाई दे रही थी जिस कारण देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने की ओर बढ़ते कदमों पर अंकुश लग गया। इस दौरान आय की असमानताएं बढ़ी, बेरोज़गारी में बढ़ोत्तरी हो गई, और जनसंख्या से संबंधित चुनौतियाँ उभर आईं।

भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो स्वतंत्र होकर सशक्त और निष्पक्ष निर्णय लेने वाली संस्थाओं को कमजोर करती है। मजबूत सरकारों ने शक्ति को अपने हाथ केंद्रित करके नीति निर्माण की प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं रहने दिया।

संविधान यह अनुमति कभी नहीं देता है कि शक्ति का एकतरफा प्रयोग करके संघीय व्यवस्था के साथ समझौता किया जाए। सत्ताधारियों के ऊपर ये दायित्व है कि निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर सर्वजन हिताय,

सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों का अनुसरण करें और जनहित में कार्य करें। सरकारों को हमेशा सत्ता में बने रहने की मानसिकता का त्याग करना होगा। राजनीतिक दलों को चुनावों में केवल जीत हासिल करके बार–बार सत्ता हथियाने पर ध्यान केंद्रित न करके जनता के बीच राजनीतिक शिक्षा का भी प्रचार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और राजनीतिक मूल्यों पर चलना चाहिए। विपक्षी दलों की भूमिका सरकारों को गिराने की नहीं होनी चाहिए, अपितु मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। एक स्वच्छ राजनीतिक वातावरण में ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। नेहरू लोकतान्त्रिक मूल्यों के हिमायती थे और उनका मत था कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी सुना जाना चाहिए और उसका भी विकास होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. यादव, भूपेंद्र एवं पटनायक, इला (2022) *भाजपा का अभ्युदय,* Penguin Random House India Private Limited, eBook, पृ. 1985।
2. सरकार, सुमित (2009) *आधुनिक भारत,* राजकमल प्रकाशन प्रा लि, नई दिल्ली, पेज 36।
3. नागौरी, कैलाश (2023) *हिंदी साहित्य का सरल एवं सुबोध इतिहास,* सरस पब्लिकेशन, eBook, पृ. 146।
4. बघेल, वीरेंद्र सिंह (2021) *आर्टिकल 370 और 35 ए,* रीदरसा पैरादाइजा, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 245।
5. अग्रवाल, जीवन (2022) *भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक विचारधारा,* गौरव बुक सेंटर, पहाड़गंज, नई दिल्ली, पृ. 42।
6. उपाध्याय, सन्तोष कुमार (2023) भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, जे ई सी पब्लिकेशन, मठववा, पृ. 20।
7. सिंह, उदयभान (2019) *भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था,* प्रभात प्रकाशन, eBook, पृ. 76।
8. बाजपेयी, अरुणोदय (2012) *समकालीन विश्व एवं भारत,* पियर्सन एजुकेशन इंडिया, सेक्टर 62, नोएडा, पृ. 25।
9. कौशिक, नरेंद्र और कौशिक, बलजीत (2016) *राजनीतिक विज्ञान,* न्यू सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, पृ. 288।
10. चौधरी, उमा शंकर (2008) *हाशिये की वैचारिकी,* अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, पृ. 213।
11. रंजन, मनीष (2023) भारतीय कला एवं संस्कृति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 135।
12. कश्यप, सुभाष (2003) भारतीय राजनीति और संविधान, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, शाहदरा, दिल्ली, पृ. 93।
13. जोहरी, जे. सी. (2021) भारतीय राजनीति एवं शासन, एसबीपीडी पब्लिकेशन,आगरा, उत्तर प्रदेश, पृ. 68।

——==00==——